कार्यालय नगर पंचायत घोसिया, जनपद–भदोही।

पत्रांकः 58 34/न0पं0घोसिया/2020–21

दिनांक– 13/03/2021

अल्पकालीन निविदा–सूचना

नगर पंचायत घोसियाँ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत बुनियादी अनुदान एवं निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित कार्यो के सम्पादन हेतु अलग–अलग मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 23/03/21 को समय 2:30 बजे अपरान्ह तक निविदादाताओं से मैन्यूवल विधि के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन समय 3:30 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति/अनुपस्थिति जैसी भी स्थिति होगी अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। रूपये पॉच लाख तक की निविदाए अधिशासी अधिकारी कार्यालय नगर पंचायत घोसियाँ में रूपये पॉच लाख से अधिक के लागत की निविदाए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी और अपर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ कार्य के सामने अंकित धरोहर धनराशि 10 प्रतिशत जो एन0एस0सी0, के0बी0पी0 अथवा बैंक सावधि जमा रसीद के रूप में हो और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घोसियाँ के पक्ष में बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदिाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा प्रपत्र दि0 22/3/21 को सायः 5:00 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है। कार्य के सम्बन्ध में अन्य कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पालिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यह विज्ञप्ति एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.bhadohi.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैं–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानिक लागत (लाख रू0 में)	बिड सिक्योरिटी (इ0एम0डी0) (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य GST सहित (यदि आवश्यक हो) (रू0में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1	वार्ड नं0 5 हाजी नगर में विलायत के बाउण्ड्री से कुतुबुद्दीन/हरिजन बस्ती तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	7.77	77700	1000	31 मार्च, 2021
2	वार्ड नं0 3 गांधी नगर में सिन्हा रोड से जाबिर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	7.02	70200	1000	तदैव
3	वार्ड नं0 3 गांधी नगर में कलीम के मकान से सुल्तान कबाड़ी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	4.49	44900	550	तदैव
4	वार्ड नं0 9 ईमलहाँ में मक्खू के मकान से सुरेन्द्र साव तक जामा मस्जिद के सामनें नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	1.55	15500	200	तदैव
5	वार्ड नं0 6 ईदगाह में अहमद के मकान से जुमराती के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	6.56	65600	800	तदैव
6	वार्ड नं0 11 मिश्रौटी में सिन्हा रोड से एबारत/हसन अली के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	3.50	35000	500	तदैव
7	**जलापूर्ति– (विभिन्न स्थलों पर पेयजल पाईप लाईन विस्तार कार्य)**				
(1)	वार्ड नं0 8 दरियागंज में नन्दलाल/पन्नालाल से गोपीलाल के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य। (लम्बाई 55मी0)	9.91	99100	1000	31 मार्च 2021
(2)	वार्ड नं0 2 गांधी नगर में कलीम के मकान से सुल्तान कबाड़ी के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य। (लम्बाई 80मी0)				
(3)	वार्ड नं0 4 अम्बेडकर नगर में हाजी फरहाद से जहाँगीर के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य। (लम्बाई 215मी0)				

8	Drinking Water				
(1)	वार्ड नं0 6 नई बस्ती में 5000ली0 की पानी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति व्यवस्था।	1.63	16300	200	तदैव
(2)	वार्ड नं0 6 में ईदगाह के पास 5000ली0 की पानी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति व्यवस्था।	1.63	16300	200	तदैव
(3)	वार्ड नं0 11 स्थित गड़ही मोहल्ला में 5000ली0 की पानी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति व्यवस्था।	1.63	16300	200	तदैव
(4)	सेऊर तिराहा (गांधी चबुतरा) पर 5000ली0 की पानी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति व्यवस्था।	1.63	16300	200	तदैव
(5)	वार्ड नं0 2 राजापुर में 5000ली0 की पानी टंकी का अधिष्ठापन कर जलापूर्ति व्यवस्था।	1.63	16300	200	तदैव

निविदा हेतु शर्ते–

1. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. दशमलव में दी गयी एवं कटिंग व ओवर राईटिंग की निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदा डालने के पूर्व उक्त कार्य स्थल का अवलोकन कर लें, अन्यथा बाद में कोई क्लेम मान्य नही होगा।
4. ~~अन्य~~ निविदाओं में नगर पंचायत घोसियॉ के पंजीकृत ठेकेदार के साथ ही शासनादेश संख्या–3890/नौ–5–19– 14सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के अनुसार अर्ह ठेकेदार भी भाग ले सकेगें, परन्तु ऐसे निविदादाताओं को न्यूनतम निविदा आने की दशा में सर्व प्रथम निकाय में ठेकेदारी पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करानी होगी, तत्पश्चात् ही अनुबंध पत्र का गठन किया जायेगा, और कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। ऐसा न करने पर निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि पालिका के पक्ष में जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निविदादाता को बैध टी0–4 (चरित्र प्रमाण पत्र), टी0–5, (हैसियत प्रमाण पत्र), टी0–6 (शपथ पत्र), जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र व आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. शासनादेश संख्या–24वी0आई0पी0(1)/नौ–05–17–120बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक रख–रखाव/अनुरक्षण करना होगा।
7. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम निविदा डालने पर शासनादेश संख्या–622/23.12. 2012–2आडिट/09टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार परफारमेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. शासनादेश संख्या–0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग में ठेकेदार का पंजीयन आवश्यक है।
9. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को कार्य एवं श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराकर नगर पंचायत में जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही होगी।
10. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को तीन दिन के अन्दर जनरल स्टैम्प पेपर पर विभाग के साथ अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा के साथ जमा जमानत राशि पालिका के पक्ष में जब्त करते हए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व कार्य होने के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् का कार्य स्थल का फोटोग्राफ बिल के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित होगा।
13. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार ज्ञानपुर भदोही होगा।

(अमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत घोसियॉ
जनपद–भदोही।

(रजिया परवीन)
अध्यक्ष
नगर पंचायत घोसियॉ
जनपद–भदोही।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि–

1. अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) भदोही को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" एवं "अमर उजाला" को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी अंक के भदोही परिशिष्ट में कराते हुये प्रकाशित समाचार पत्र की दो प्रति सहित बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, भदोही को एन0आई0सी0 की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु मय सी0डी0 सहित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत घोसियॉ
जनपद–भदोही।